

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12082022-238051 CG-MH-E-12082022-238051

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] No. 400] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2022/श्रावण 21, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2022/SHRAVANA 21, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 अगस्त, 2022

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात:-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम,
 2022 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-
 - विनियम 22ग के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 - "22ग. (1) मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक;
 - (ख) स्वतंत्र निदेशक;
 - (ग) प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर); और

5430 GI/2022 (1)

- (घ) ऐसे अन्य निदेशक, जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।
- (2) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) के प्रतिनिधि को मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) में रोटेशनल आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसे निदेशक को नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.— उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) का प्रतिनिधि शीर्ष तीन निर्गमकर्ताओं [पिछले वित्तीय वर्ष में उनके निर्गम (इश्यू) के आकार के आधार पर], जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों, में से किसी एक का प्रतिनिधि होगा।"

II. विनियम 22च के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद का निपटारा करने की व्यवस्था

22च. मान्यताप्राप्त 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) अपने यहाँ विवाद का निपटारा करने की एक व्यवस्था निर्धारित करेगा, ताकि उन लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) से संबंधित विवादों या दावों का निपटारा किया जा सके जिनका समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) उसके द्वारा किया गया हो, और यह व्यवस्था उसी प्रकार निर्धारित की जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तय किया जाए।"

III. विनियम 22च के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात,-

"सामान्य प्रावधान

- 22छ.(1) 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) इन विनियमों के प्रावधानों का और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- (2) यदि इन विनियमों के प्रावधानों में और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों में पालन किए जाने के संबंध में दी हुई अपेक्षाओं में कोई फर्क हो, तो ये अपेक्षाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद ही 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' पर लागू होंगी।

22ज. यदि 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के लिए बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक से पहले मंजूरी लेना जरूरी हो, तो ऐसे में 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' भारतीय रिज़र्व बैंक से मंजूरी लेने से पहले बोर्ड से मंजूरी लेगा।"

IV. विनियम 23 में,

- і. उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा ।
- ii. उप-विनियम (1) के खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) के प्रयोजनार्थ, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक को शेयरधारक निदेशक माना जाएगा और स्वतंत्र निदेशक को लोक हित निदेशक माना जाएगा।"

- iii. उप-विनियम (4) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा ।
- iv. उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) के मामले में, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) को शेयरधारक निदेशकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।"

- V. विनियम 24 के उप-विनियम (3) में,
 - i. दूसरे परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा ।

- ii. दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "परंतु यह और कि 'सीमित प्रयोजन वाले समाशोधन निगम' के मामले में, अधिकतम आयु सीमा सत्तर वर्ष होगी अथवा उतनी होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।"
- VI. विनियम 27 के उप-विनियम (6) में, शब्दों और चिह्न "में यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रबंध-मंडल के प्रत्येक मुख्य व्यक्ति को अदा किए गए प्रतिकर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के अन्य कर्मचारियों को" के स्थान पर शब्द और चिह्न "में यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रबंध-मंडल के प्रत्येक मुख्य व्यक्ति को अदा किए गए प्रतिकर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के सभी कर्मचारियों को" आ जाएंगे।
- VII. विनियम 29 में,
 - i. उप-विनियम (2) और (3) में, शब्दों "शामिल हैं" के स्थान पर, शब्द "शामिल होंगी" आ जाएंगे ।
- VIII. अनुसूची-II के भाग-ज के पैरा-VI के खंड (1) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—
 "(1क) 'सीमित प्रयोजन वाला समाशोधन निगम' (लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन) भारतीय
 रिज़र्व बैंक की मंजूरी की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रबंध निदेशकों (मैनेजिंग डाइरेक्टर) की नियुक्ति
 की प्रक्रिया पूरी करेगा, और नियुक्त किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत
 करेगा कि इस अपेक्षा का पालन कर लिया गया है।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/असा./221/2022-23]

पाद टिप्पण:

- 1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात्
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 11th August, 2022

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

- 1. These Regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022.
- 2. They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,—
- I. Regulation 22C shall be substituted with the following regulation, namely,—
 - "22C. (1) The governing board of a recognized limited purpose clearing corporation shall include:
 - (a) nominee directors;
 - (b) independent directors;
 - (c) managing director; and
 - (d) such other directors as may be specified by the Reserve Bank of India or the Board from time to time.
 - (2) The representative of the issuers of debt securities may be appointed on the governing board of the recognized limited purpose clearing corporation on a rotational basis and such a director shall be deemed to be a nominee director.

Explanation.—For the purpose of sub-regulation (2), the representative of the issuers of debt securities during a financial year shall be one of the top three issuers, which are public sector undertakings, based on their issue size in the preceding financial year."

II. Regulation 22F shall be substituted with the following regulation, namely,—

"Dispute resolution Mechanism

- 22F. The recognized limited purpose clearing corporation shall put in place a dispute resolution mechanism, for settlement of disputes or claims arising out of transactions cleared and settled by it, in the manner as specified by the Board in consultation with the Reserve Bank of India."
- III. after regulation 22F, the following regulations shall be inserted, namely,—

"General Provisions

- 22G. (1) The limited purpose clearing corporation shall ensure compliance with the provisions of these regulations as well as directions issued by the Reserve Bank of India.
- (2) In cases of different compliance requirements as specified under the provisions of these regulations and the directions issued by the Reserve Bank of India, the compliance requirements shall be made applicable to the limited purpose clearing corporation after consultation with the Reserve Bank of India.
- 22H. In case the limited purpose clearing corporation is required to obtain the prior approval of the Board and the Reserve Bank of India, the limited purpose clearing corporation shall obtain the prior approval of the Board before seeking approval from the Reserve Bank of India."
- IV. in regulation 23,
 - i. in clause (c) of sub-regulation (1), the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"
 - ii. after clause (c) of sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely, —

- "Provided that for the purpose of limited purpose clearing corporation, the nominee director shall be treated as a shareholder director and the independent director shall be treated as a public interest director."
- iii. in sub-regulation (4), the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"
- iv. after sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely,—
 - "Provided that in case of a limited purpose clearing corporation, the managing director shall not be included in the category of shareholder directors."
- V. in sub-regulation (3) of regulation 24,
 - i. the symbol "." in the second proviso shall be substituted with the symbol ":".
 - ii. after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—
 - "Provided further that in case of a limited purpose clearing corporation, the maximum age limit shall be seventy years or as may be specified by the Reserve Bank of India or the Board from time to time."
- VI. in sub-regulation (6) of regulation 27, the words "comprise of" shall be substituted with the words "consist of".
- VII. in regulation 29,
 - i. in sub-regulations (2) and (3), after the word "comprising", the word "of" shall be omitted.
- VIII. after clause (1) of para VI of Part-H of the Schedule-II, the following clause shall be inserted, namely,—
 - "(1A) The limited purpose clearing corporation shall complete the appointment process for the managing directors within thirty days from the date of approval of the Reserve Bank of India and submit a compliance report within one week from the date of appointment."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./221/2022-23]

Footnote:

- 1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
- 2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.